न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 43/2021

1 बहादुर पुत्र अर्जुन सिंह।
2 शंकर सिंह पुत्र अर्जुन सिंह।
3 अन्त कंवर पत्नी गिरवर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 केला देवी पत्नी दलवीर सिंह।
5 राजेन्द्र कुमार काजला पुत्र जग्गूराम शर्मा।
6 मनोज कुमार पुत्र जग्गूराम वर्मा समस्त जाति बलाई निवासीगण बलाईयों का मोहल्ला नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 जगमाल सिंह पुत्र शोभसिंह जाति राजपूत निवासी नांगल भीम तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
2 पटवार हल्का हांसपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
3 राजस्थान राज्य जरिये भू0 अभि0 तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर।
4 उपतहसीलदार/उप पंजियक श्रीमाधोपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 18.06.2021
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर
जिला सीकर आवेदन बउनवानी जगमाल सिंह
बनाम केला देवी आदि।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री बजरंगलाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विनोद कुमार सरोज, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 22.10.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा मुकदमा नम्बर 62/2021 में पारित निर्णय दिनांक 18.06.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की सयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 311 रकबा 0.22 हैक्टर, खसरा संख्या 313 रकबा 0.92 हैक्टर, खसरा संख्या 314 रकबा 0.41 हैक्टर, खसरा नम्बर 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 316 रकबा 0.75 हैक्टर, खसरा नम्बर 342 रकबा 0.91 हैक्टर, खसरा नम्बर 343 रकबा 1.30 हैक्टर, खसरा नम्बर 348 रकबा 0.36 हैक्टर कुल किता 8 कुल रकबा 5.62 हैक्टर वाकै ग्राम नांगल भीम पटवार हल्का हासपुर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज.) में अवस्थित है जिस पर अपीलांट को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 शामलाती रूप से अपने अपने हक व हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी के विविधित बंटवारा करवाने हेतु एक दावा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा मुकदमा संख्या 71/2021 बउनवानी जगमाल सिंह बनाम केला देवी वगैरह पेश किया उक्त दावे के साथ ही अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अपीलार्थीगण को बिना सुने ही उक्त आलौच्य एकतरफा आदेश दिनांक 18.06.2021 पारित किया गया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने तर्क दिया कि विवादित भूमियों का मौके पर बाहमी विभाजन हो रखा है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट को सुने बिना विचाराधीन स्थगन एकपक्षीय रूप से जारी कर दिया है। इससे अपीलांट के हक प्रभावित हो रहे है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन आदेश अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन एकपक्षीय स्थगन जारी कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये है एवं आगामी तिथि 15.07.2021 नियत की थी। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर यह अपील प्रस्तुत कर दी है। विधि अनुसार धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। प्रस्तुत अपील अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से पोषणीय नहीं है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन एकपक्षीय स्थगन जारी कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये है एवं आगामी तिथि 15.07.2021 नियत की थी। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने के स्थान पर यह अपील प्रस्तुत कर दी है। विधि अनुसार धारा 212 के आवेदन का अंतिम निस्तारण उभयपक्ष को सुनकर विचारण न्यायालय द्वारा किया जाना है। अतः इस स्तर पर इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर